

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

(भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, रांची)

कार्यालय – भूमि संरक्षण पदाधिकारी, खूँटी।

“ डोभा लाभूकों से अपील ”

वितीय वर्ष 2016–17 में वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण की योजना के तहत जिन लाभूकों को डोभा निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था तथा डोभा के आकार के अनुसार 40 प्रतिशत राशि अग्रिम निर्गत किया गया। उनके द्वारा वितीय वर्ष 16–17 में ही डोभा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया, परंतु डोभा निर्माण पूर्णता: प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा नहीं किया गया, वे दिनांक 24.10.2018 तक जनसेवक/प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी से सत्यापित कर निश्चित रूप से अद्योस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें, ताकि राशि का भुगतान किया जा सके।

निवेदक

ह/०

भूमि संरक्षण पदाधिकारी,
खूँटी।